न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनमोहन मीना , आर ए एस

वाद संख्या :— 45 / 2018

उनवान

नेमीचन्द पुत्र स्व0 बल्लाराम
श्रवणलाल पुत्र स्व0 परताराम
बाबूलाल पुत्र स्व0 परताराम
छगन लाल पुत्र स्व0 परताराम
रिछपाल पुत्र स्व0 परताराम
छोटूराम पुत्र स्व0 परताराम

समस्त व्यस्क, जाति रैगर, निवासी ग्राम साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान

वादीगण

बनाम

1 कालूराम पुत्र स्व0 हरला उर्फ हरिराम
2 जगदीश पुत्र स्व0 हरला उर्फ हरिराम
3 मोहनलाल पुत्र स्व0 हरला उर्फ हरिराम
4 भगवान सहाय पुत्र स्व0 हरला उर्फ हरिराम
5 भागीरथ पुत्र स्व0 हरला उर्फ हरिराम
6 पूरणमल पुत्र स्व0 हरला उर्फ हरिराम
7 रमकी देवी पत्नी स्व0 हरला उर्फ हरिराम

समस्त व्यस्क, जाति रैगर, निवासी ग्राम साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान

8. प्रेम देवी पुत्री स्व0 हरला उर्फ पत्नी गुलाबचंद, जाति रैगर, निवासी ग्राम साईवाड, हालवासी सिंगोदकलां, जिला जयपुर राजस्थान

9 मूली देवी पुत्री स्व0 हरला उर्फ पत्नी श्रवणलाल, जाति रैगर, निवासी ग्राम साईवाड, तह0 शाहपुरा हालवासी जुनसा ईटावा तह0 चौमु जिला जयपुर राजस्थान

10. भैरू पुत्र स्व0 सेडूराम जाति रैगर, निवासी साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान

11 उपपंजीयक शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान

12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान

13 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा साईवाड, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

प्रतिवादीगण

14 सुभाष पुत्र स्व0 बल्लाराम
15 सत्यनारायण पुत्र स्व0 परताराम

समस्त व्यस्क, जाति रैगर, निवासी ग्राम साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान

16 सोनी देवी पुत्री स्व0 परताराम पत्नी तेजपाल, जाति रैगर, निवासी साईवाड हालवासी नवरंगपुरा, तह0 विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान

17 मीरा देवी पुत्री स्व0 परताराम पत्नी रामजीलाल जाति रैगर, निवासी साईवाड, हालवासी ग्राम टटेरा तह0 नीमकाथाना जिला सीकर, राजस्थान

18 आंची देवी पुत्री स्व0 परताराम पत्नी रामनिवास
19 जानकी देवी पुत्री स्व0 परताराम पुत्री पांचूराम

समस्त व्यस्क, जाति रैगर, निवासी साईवाड, हालवासी ग्राम तेवडी तह0 विराटनगर, जिला जयपुर,

तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित **श्री दीपक शर्मा एडवोकेट वादीगण**
श्री रामनिवा गुर्जर एडवोकेट प्रतिवादी

वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

आदेश दिनांक 9/9/2022

उपर्युक्त उनवानी वाद में वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि हाल आराजी खसरा नं0 66/0.06, 998/0.71, 999/0.02, 1000/0.23, 1001/0.21, 1002/0.27, 1003/0.24, 1040/0.72, 188/0.35, 1192/0.10 कुल किता– 10 कुल रकबा 2.91 है0 वाकै ग्राम साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला यपुर में स्थित है जिसकी वर्तमान में खातेदारी 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 के नाम तथा /4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 10 के नाम तथा 1/4 हिस्सा वादी सं0 1 व तरतीबी प्रतिवादी सं0–14 के नाम था शेष 1/4 हिस्सा वादीगण सं0–2 लगायत 6 व तरतीबी प्रतिवादीगण सं0–15 लगायत 19 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता सं0–368 संलग्न वाद पत्र पेश है। वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित भूमि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 9 के बुजुर्ग परताराम, बल्लाराम, हरला उर्फ हरिराम तथा प्रतिवादी सं0–10 भैरू के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि रही है जिसका बाहमी बंटवारा आपसी सहमति से प्रतिवादी सं0–10 व उसके भाई हरला, परताराम, व बल्लाराम ने कर लिया था बाहमी बंटवारे के मुताबिक ही आज वर्तमान में दर्ज खातेदार काबिज काश्त है। वादपत्र में दर्ज भूमि हाल आराजी खसरा नं0– 1002, 1003 पर प्रतिवादी सं0–10 भैरू व बल्लाराम के वारिसान वादी सं0–1 व तरतीबी प्रतिवादी सं0 14 बराबर–बराबर हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है भैरू के कब्जे काश्त व हिस्से में खसरा नं0 1002 व 1003 का उत्तरी हिस्सा है जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है तथा वादी सं0–1 व तरतीबी प्रतिवादी सं0–14 के कब्जे काश्त व हिस्से में खसरा नं– 1002, 1003 का दक्षिण हिस्सा है जिसे नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है हाल आराजी खसरा नं0 1000 व 1001 पर परताराम के वारिसान वादीगण सं0–2 लगायत 6 व तरतीबी प्रतिवादी सं0 15 लगायत 19 तथा हरला उर्फ हरिराम के वारिसान प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 बराबर हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। परताराम के वारिसान वादीगण सं0 2 लगायत 6 व तरतीबी प्रतिवादी सं0 15 लगायत 19 के कब्जे काश्त व हिस्से में खसरा नम्बर 1000, 1001 का उत्तरी हिस्सा है जिसे नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है तथा हरला उर्फ हरिराम के वारिसान प्रतिवादी सं0–1 लगायत 9 के कब्जे काश्त व हिस्से में खसरा नं0–1000, 1001 का दक्षिणी हिस्सा है जिसे नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है खसरा नम्बर 1040, 1188, 1192 की भूमि को वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 10 ने चार हिस्सों में पूर्व पश्चिम बराबर बराबर बंटवारा कर रखा है जिसे नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 1040, 1188, 1192 की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के हिस्से को गुलाबी रंग से तथा भैरू के हिस्से को लाल रंग से तथा वादीगण सं0– 2 लगायत 6 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या–15 लगायत 19 के हिस्से को पीले रंग तथा वादी संख्या– 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या– 14 के हिस्से को हरे रंग से दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 998 में भैरूराम ने अपने हिस्से की भूमि में तीन मकान बना रखे हैं जिसमें उसका परिवार निवास कर रहा है तथा खसरा नम्बर 998 में वादी संख्या–1 ने नेमीचन्द ने अपना मकान बना रखा है जिसमें परिवार सहित निवास करते आ रहे है खसरा नम्बर 999 गैर मुमकिन चाह की भूमि है जिसमें कुआ बना हुआ है जो वर्तमान में सुखा है तथा सामलाती एक गुमटी व एक जीर्णशीर्ण झोपडी बनी हुई है व हनुमान जी महाराज का स्थान बना हुआ है। खसरा नम्बर 766 में एक पुराना सामलाती पुख्ता मकान है जिसे प्रतिवादी सं0–10 व वादीगण तथा तरतीबी प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादी सं0–1 लगायत 9 के बुजुर्ग परताराम, हरला उर्फ हरिराम व बल्लाराम ने सामलाती में बनाया था। एक मकान परताराम ने अकेले ने बनाया था जिसे उसके वारिसान वादी सं0–2 लगायत 6 उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है तथा एक मकान प्रतिवादी सं0–10 भैरू का अकेले का बना हुआ है। प्रश्नागत वर्णित आराजी खसरा नम्बरान की भूमि पर वादीगण, प्रतिवादीगण, व तरतीबी प्रतिवादीगण वाद पत्र में दर्ज बाहमी बंटवारा के मुताबिक ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है विवादित भूमि का खातेदारान के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है प्रतिवादी गण के मन में दुर्भावना के चलते उन्होंने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है। वादीगण के कब्जे काश्त में अड़चन पैदा करने लगे है। वादीगण को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने तथा उक्त विवादित आराजी मुतनाजा के उपजाऊ व विशिष्ट भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियों के पक्ष में करने को आमादा है। प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर नाप जोख करने लगे तो वादीगण ने नापजोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 10 ने कहा कि हम उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करेंगे। वादीगण ने तकास्मा का हवाल देकर मना किया परन्तु प्रतिवादीगण ने ऐसा जबरन करने को कहा और साथ ही कहा कि बेचान दीगर लठैत व्यक्तियों को करेंगे जो तुम्हें अपने आप जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर निर्माण कार्य भी करके रहेंगे। इसलिए वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध अधिकार हासिल है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त विवादित भूमि का कब्जे काश्त के आधार पर बंटवारा कराया जाकर वादीगण के हिस्से में आयी भूमि का पर्चा लगान अलग–अलग निर्धारित करवाये। वाद पत्र के जिमन नम्बर 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती सम्पति मुतनाजा है उक्त भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की भूमि कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते हैं तो अनावश्यक रूप से पक्षकारों में मुकदमें बाजी बढ़ेगी। वादपत्र के जिमन नम्बर 2 लगायत 7 में वर्णित कारणों के कारण अब प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 10 वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी पैदा करने लग गये है। इस कारण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 का उक्त विवादित आराजी का कानूनी बंटवारा बाई मिट्स एंड बाउण्ड के आधार पर किया जाकर लगान निर्धारित किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। बिनाय दावा बरुए जिमन नम्बर 1 लगायत 7 उक्त विवादित भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं होने से व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 10 द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी पैदा करने से उक्त भूमि के विशिष्ट व उपजाऊ भू–भाग का दीगर व्यक्तियों को बेचान कर निर्माण कार्य करवाने

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

को आमादा होने से पैदा होकर अंदर मियाद पेश है। प्रतिवादी संख्या 12 राजस्थान सरकार भूमिधारी है उक्त मुकदमा बंटवारे का होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने के नाते जरिये तहसीलदार शाहपुरा पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 11 उपपंजीयक है प्रतिवादीगण संख्या 11 को उक्त विवादित भूमि के हस्तानान्तरण संबंधित दस्तावेजात पंजीयन नहीं करने हेतु पाबंद कराने के लिए पक्षकार मुकदमा बनाया गया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 13 के यहां उक्त भूमि रहन रखी हुयी है इस कारण प्रतिवादीगण सं0–13 का उक्त प्रकरण की विवादित भूमि में हित निहित है इसलिए पक्षकार मुकदमा बनाया गया है तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 19 का भी उक्त भूमि में हित निहित होने के कारण इन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 लोक सेवक व राज्य सरकार पक्षकार मुकदमा है, कानूनन राज्य सरकार व लोक सेवक के विरुद्ध दावा दायरी से पहले दो माह का कानूनी नोटिस दिया जान आवश्यक है प्रतिवादीगण की ओर से कब्जा अन्य को हस्तान्तरण कर देने के अंदेशे के चलते अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नोटिस दिये जाने से छूट प्राप्त कर ली गयी है। हाल आराजी खसरा नम्बर 766/0.06, 998/0.71, 999/0.02, 1000/0.23, 1001/0.21, 1002/0.27, 1003/0.24, 1040/0.72, 1188/0.35, 1192/0.10 कुल किता– 10 कुल रकबा 2.91 है0 वाकै ग्राम साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर का वादीगण तथा प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के मध्य वादपत्र में वर्णित बाहमी बंटवारे व कब्जे काश्त के अनुसार रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड सरस नरस के आधार पर राजस्व बोर्ड के नियमों के मुताबिक कानूनी बंटवारा करवाया जाकर राज लगान अलग निर्धारित किया जावे जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया जावे। प्रतिवादीगण को हमेशा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के जिमन नम्बर 1 में वर्णित हाल आराजी खसरा नम्बर 766/0.06, 998/0.71, 999/0.02, 1000/0.23, 1001/0.21, 1002/0.27, 1003/0.24, 1040/0.72, 1188/0.35, 1192/0.10 कुल किता– 10 कुल रकबा 2.91 है0 वाकै ग्राम साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर के वादीगण के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बैजा दखलअंदाजी पैदा नहीं करें वादीगण को शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे व जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे तथा उक्त आराजी मुतनाजा पर कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे व राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

. वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी की गई । प्रतिवादी सं 1. से 3 की ओर श्री रामनिवास गुर्जर उपस्थित आये । प्रकरण में दिनांक 13.6.2018 को दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा अपने पत्र कमांक भू0अ0/2022/ 963 दिनांक 22.3.2022 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया । वादीगण की ओर उनके अधिवक्ता ने तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की गई जिस पर उभय पक्ष को सुना गया । वकील वादी के द्वारा आपत्ति में मुख्यतः यह जाहिर किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा द्वारा नहीं बनाई गई है तथा पक्षकारान के अनुपस्थिति में बनाई गई है वादीगण को खसरा नम्बर 1001, 1002 में हिस्सा नहीं दिया गया है तथा कुर्रेजात रिपोर्ट नियम 18 से 21 के अनुसार नहीं बनाई गई है। । वकील प्रतिवादी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पर सीधी बहस सुनी गई । वकील वादी ने अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र. में दर्ज तथ्यों को जाहिर करते हुए बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट को निरस्त कर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट वाद के संलग्न रंगीन नक्शे के अनुसार मंगवाये जाने हेतु निवेदन किया । प्रतिवादी ने जाहिर किया कि प्रतिवादी सं0 10 खसरा नम्बर 1002 पर काबिज है तथा प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 1001 में बंहमी बंटवारा से उपयोग व उपीाोग कर रहे है, पीडी रिपोर्ट सही है जिसे दावा डिकी किया जावे ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा तैयार कर भिजवाई गई है जिसका अवलोकन किया गया । प्रकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर उभय पक्ष की बहस के बाद वादीगण की आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण मूल वाद बंटवारा का है तथा प्रश्नागत आराजी 2 राजस्व ग्रामों में विभाजित होने से प्रकरण में बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से दावा डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं कि :–

क0सं0	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदार जिसके हिस्से भूमि रही
1	साईवाड	1040/1 1188/3 1192/3 कुल 3	0.18 है0 0.0875 है0 0.0250 है0 कुल0.2925 है0	**नेमीचन्द पुत्र बलला हि0 1/2 जति रैगर रहिन हिस्सा सम्पूर्ण राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक शाखा साईवाड सा0 देह खातेदार सुभाष पुत्र बल्लाराम हि0 1/2 जाति रैगर सा0 देह खातेदार**
	जयसिंगपुरा	998/3 1003/1 कुल 2	0.1775 है0 0.2300 है0 कुल0.4075 है0	

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

2	साईवाड़	1040 / 4 1188 / 4 1192 / 4 कुल 3	0.18 है0 0.0875 है0 0.0250 है0 कुल0.2925 है0	रमकी पत्नि स्व0 हरला हि0 1 / 9, मोहनलाल पुत्र हरला हि0 1 / 9, जगदीश पुत्र हरला हि0 1 / 9, कालूराम पुत्र हरला हि0 1 / 9, भगवानसहाय पुत्र हरला हि0 1 / 9, भागीरथ पुत्र हरला हि0 1 / 9, पुरणमल पुत्र हरला हि0 1 / 9, प्रेम देवी पुत्री हरला हि0 1 / 9 , मूल देवी पुत्र हरला हि0 1 / 9, जाति रैगर सा0 देह खातेदार
	जयसिंहपुरा	998 / 4 1001 1002 / 1 कुल 3	0.1775 है0 0.2100 है0 0.4075 हे0 कुल0.4075 है0	
3	साईवाड़	1040 / 3 1188 / 1 1192 / 1 कुल 3	0.18 है0 0.0875 है0 0.0250 है0 कुल0.2925 है0	भैरू पुत्र सेडू हिस्सा सम्पूर्ण जाति रैगर सा0 देह खातेदार
	जयसिंहपुरा	998 / 1 1002 / 3 कुल 2	0.1775 है0 0.2300 है0 कुल0.4075 है0	
4	साईवाड़	1040 / 2 1188 / 2 1192 / 2 कुल किता 3	0.18 है0 0.0875 है0 0.0250 है0 कुल0.2925 है0	श्रवण पुत्र परता हि0 1 / 10 , बाबूलाल पुत्र परता हि0 1 / 10, छगनलाल पुत्र परता हि0 1 / 10, रिछपाल पुत्र परता हि0 1 / 10, सत्यनारायण पुत्र परता हि0 1 / 10, छोटूराम पुत्र परता हि0 1 / 10, सोनी देवी पुत्री परता हि0 1 / 10, मीरादेवी देवी पुत्री परता हि0 1 / 10, आंची देवी देवी पुत्री परता हि0 1 / 10, जानकी देवी देवी पुत्री परता हि0 1 / 10, जाति रैगर सा0 देह खातेदार
	जयसिंहपुरा	998 / 2 1002 / 3 कुल 2	0.1775 है0 0.2300 है0 कुल0.4075 है0	
5	साईवाड़	766	0.06	शामलाती सम्पूर्ण खातेदार ग्राम जयसिंहपुर के खसरा नम्बर 1002 गै0मु0 रास्ता रहेगा
	जयसिंहपुरा	999 1002	0.0200 है0 0.0200 है0	

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांकः 9/9/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना , आर ए एस

वाद संख्या :– 45/2018

उनवान

1 नेमीचन्द पुत्र स्व0 बल्लाराम
2. श्रवणलाल पुत्र स्व0 परताराम
3. बाबूलाल पुत्र स्व0 परताराम
4. छगन लाल पुत्र स्व0 परताराम
5. रिछपाल पुत्र स्व0 परताराम
6. छोटूराम पुत्र स्व0 परताराम

समस्त व्यस्क, जाति रैगर, निवासी ग्राम साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान

वादीगण

बनाम

1 कालूराम पुत्र स्व0 हरला उर्फ हरिराम
2 जगदीश पुत्र स्व0 हरला उर्फ हरिराम
3 मोहनलाल पुत्र स्व0 हरला उर्फ हरिराम
4 भगवान सहाय पुत्र स्व0 हरला उर्फ हरिराम
5 भागीरथ पुत्र स्व0 हरला उर्फ हरिराम
6 पूरणमल पुत्र स्व0 हरला उर्फ हरिराम
7 रमकी देवी पत्नी स्व0 हरला उर्फ हरिराम

समस्त व्यस्क, जाति रैगर, निवासी ग्राम साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान

8. प्रेम देवी पुत्री स्व0 हरला उर्फ पत्नी गुलाबचंद, जाति रैगर, निवासी ग्राम साईवाड, हालवासी सिंगोदकलां, जिला जयपुर राजस्थान

9 मूली देवी पुत्री स्व0 हरला उर्फ पत्नी श्रवणलाल, जाति रैगर, निवासी ग्राम साईवाड, तह0 शाहपुरा हालवासी जुनसा ईटावा तह0 चौमु जिला जयपुर राजस्थान

10. भैरू पुत्र स्व0 सेडूराम जाति रैगर, निवासी साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान

11 उपपंजीयक शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान

12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान

13 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा साईवाड, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

प्रतिवादीगण

14 सुभाष पुत्र स्व0 बल्लाराम
15 सत्यनारायण पुत्र स्व0 परताराम

समस्त व्यस्क, जाति रैगर, निवासी ग्राम साईवाड, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान

16 सोनी देवी पुत्री स्व0 परताराम पत्नी तेजपाल, जाति रैगर, निवासी साईवाड हालवासी नवरंगपुरा, तह0 विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान

17 मीरा देवी पुत्री स्व0 परताराम पत्नी रामजीलाल जाति रैगर, निवासी साईवाड, हालवासी ग्राम टटेरा तह0 नीमकाथाना जिला सीकर, राजस्थान

18 आंची देवी पुत्री स्व0 परताराम पत्नी रामनिवास
19 जानकी देवी पुत्री स्व0 परताराम पुत्री पांचूराम

समस्त व्यस्क, जाति रैगर, निवासी साईवाड, हालवासी ग्राम तेवडी तह0 विराटनगर, जिला जयपुर,

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

आदेश दिनांक 9/3/2022

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं कि :–

क0सं0	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदार जिसके हिस्से भूमि रही
1	साईवाड	1040/1 1188/3 1192/3 कुल 3	0.18 है0 0.0875 है0 0.0250 है0 कुल0.2925 है0	**नेमीचन्द पुत्र बलला हि0 1/2 जति रैगर रहिन हिस्सा सम्पूर्ण राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक शाखा साईवाड सा0 देह खातेदार सुभाष पुत्र बल्लाराम हि0 1/2 जाति रैगर सा0 देह खातेदार**
	जयसिंगपुरा	998/3 1003/1 कुल 2	0.1775 है0 0.2300 है0 कुल0.4075 है0	

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

2	साईवाड़	1040/4 1188/4 1192/4 कुल 3	0.18 हे0 0.0875 हे0 0.0250 हे0 कुल0.2925 हे0	रमकी पत्नि स्व0 हरला हि0 1/9, मोहनलाल पुत्र हरला हि0 1/9, जगदीश पुत्र हरला हि0 1/9, कालूराम पुत्र हरला हि0 1/9, भगवानसहाय पुत्र हरला हि0 1/9, भागीरथ पुत्र हरला हि0 1/9, पुरणमल पुत्र हरला हि0 1/9, प्रेम देवी पुत्री हरला हि0 1/9 , मूल देवी पुत्र हरला हि0 1/9, जाति रैगर सा0 देह खातेदार
	जयसिंहपुरा	998/4 1001 1002/1 कुल 3	0.1775 हे0 0.2100 हे0 0.4075 हे0 कुल0.4075 हे0	
3	साईवाड़	1040/3 1188/1 1192/1 कुल 3	0.18 हे0 0.0875 हे0 0.0250 हे0 कुल0.2925 हे0	भैरू पुत्र सेडू हिस्सा सम्पूर्ण जाति रैगर सा0 देह खातेदार
	जयसिंहपुरा	998/1 1002/3 कुल 2	0.1775 हे0 0.2300 हे0 कुल0.4075 हे0	
4	साईवाड़	1040/2 1188/2 1192/2 कुल किता 3	0.18 हे0 0.0875 हे0 0.0250 हे0 कुल0.2925 हे0	श्रवण पुत्र परता हि0 1/10 , बाबूलाल पुत्र परता हि0 1/10, छगनलाल पुत्र परता हि0 1/10, रिछपाल पुत्र परता हि0 1/10, सत्यनारायण पुत्र परता हि0 1/10, छोटूराम पुत्र परता हि0 1/10, सोनी देवी पुत्री परता हि0 1/10, मीरादेवी देवी पुत्री परता हि0 1/10, आंची देवी देवी पुत्री परता हि0 1/10, जानकी देवी देवी पुत्री परता हि0 1/10, जाति रैगर सा0 देह खातेदार
	जयसिंहपुरा	998/2 1002/3 कुल 2	0.1775 हे0 0.2300 हे0 कुल0.4075 हे0	
5	साईवाड़	766	0.06	शामलाती सम्पूर्ण खातेदार ग्राम जयसिंहपुर के खसरा नम्बर 1002 गै0मु0 रास्ता रहेगा
	जयसिंहपुरा	999 1002	0.0200 हे0 0.0200 हे0	

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज तारीख 9/9/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	